संख्याः– /XIV–1/2007

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनांक 20 अगस्त जुलाई, 2007

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत प्लान की ट्रायबल सब प्लान (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 494/ नियो0/टी0एस0पी0/ 2007–08 दिनांक 3.5.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की ट्रायबल सब प्लान (जिला सेक्टर) में कुल रूपया 4.07 लाख रूपये (रू0 चार लाख सात हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार व्यय करने की राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ट द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट hptt://gov. ua.nic.in/socialwelfarempr. पर टी0एस0पी0 की मासिक प्रगति, योजनावार लाभान्वित लाभार्थियो की सूची तथा सामूहिक लाभ वाले कार्यक्रमो की सूची जनपदवार उपलब्ध करायें।

(2) राज्य गठन के उपरान्त वर्षवार माह मार्च की टी0एस0पी0 की प्रगति एवं योजनावार लाभान्वित लाभार्थियो की सूची/सामूहिक योजनाओं का वर्षवार /जनपदवार पूर्व विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय ।

(4) सभी कार्यक्रमो की वार्षिक/मासिक लक्ष्यो का निर्धारण तत्काल किया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यो की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

(5) उक्त धनराशि केवल जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में स्थापित सहकारी समितियो के उत्थान हेतु ट्रायबल सब प्लान के अन्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत परिव्यय के अनुसार व्यय किया जाय तथा ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये समुचित रूप से जिम्मेदार होगा और उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6)उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करे ।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय वितरण सहित शासन/ महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय ।

2. प्रश्नगत मद में गत वित्तीय वर्ष में निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष किये गये कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

3. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या –31 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता –आयोजनागत–796–जनजाति उपक्षेत्र योजना –03 – जनजाति उपक्षेत्र योजनान्तर्गत सहकारी समितियां को अनुदान 20– सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता एवं 04–अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को अंश कय हेतु अनुदान –20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता तथा 6425–सहकारिता के लिये कर्ज–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–03 सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को ब्याज रहित ऋण– 30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–123(P)/वित्त अनुभाग–4/2007 दिनांक 07.08.2007में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(डा0रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या:- 382 (1)/XIV-1/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।।
2–समस्त कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3–निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोडा ।
4– वित्त अनुभाग–4 /समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या– /XIV–1/2007 दिनांक जुलाई, 2007 का सलंग्नक

वित्तीय वर्ष 2007–08 में ट्रायबल सब प्लान के अन्तर्गत जिला योजना के आधार पर जनपदों को स्वीकृति प्रदान करनें हेतु लेखा शीर्षकवार धनराशियों के आंवटन का विवरण ।

अनुदान संख्या–31

योजना/मद का नाम	नैनीताल	उधमसिंह नगर	अल्मोडा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	देहरादून	हरिद्वार	पौडी	टिहरी	चमोली	रूद्र प्रयाग	उत्तर काशी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2425–सहकारिता–आयोजनागत														
796–जनजाति उपक्षेत्र योजना														
03–जनजाति उपक्षेत्र योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को अनुदान														
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.18	0.78	–	0.02	0.50	–	1.78	–	–	–	0.45	–	0.32	4.03
04–अनुसचित जनजाति के सदस्यो को अश क्रय हेतु अनुदान														
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.01	–	–	–	–	–	0.01	–	–	–	–	–	–	0.02
योग:–2425	0.19	0.78	–	0.02	0.50	–	1.79	–	–	–	0.45	–	0.32	4.05
6425 सहकारिता के लिये कर्ज														
796–जनजाति क्षेत्र उप योजना														
03–सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को ब्याज रहित ऋण														
30–निवेश/ऋण	0.01	–	–	–	–	–	0.01	–	–	–	–	–	–	0.02
योग– 6425	0.01	–	–	–	–	–	0.01	–	–	–	–	–	–	0.02
महायोग–	0.20	0.78	–	0.02	0.50	–	1.80	–	–	–	0.45	–	0.32	4.07

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।